273

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

शुद्धि पत्र

संचिका संख्या–18/वि०1–06/2018....../ वित्तीय वर्ष 2018–19 में समेकित कोषांगार प्रबंधन प्रणाली (CTMIS) के स्थान पर समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू करने के दौरान विभागीय अधिसूचना संख्या– 99 दिनांक– 09.04.2018 की कंडिका– 2 द्वारा शिक्षा विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की संख्या सीमित की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2019–20 से लागू होने वाले CFMS में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की भूमिका किसी कार्यालय में उनसे संबंधित CFMS Modules के Approver मात्र के रूप में रह जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक विभाग को CFMS के अन्तर्गत अपने कार्यालयों की Vertical Hierarchy (Level wise) एवं सभी कार्यालयों में Functional Hierarchy (Maker, Checker एवं Approver) का निर्धारण करना है। Functional Hierarchy के तीनों अथवा दोनों चरणों (Maker, Checker, Approver या Maker, Approver) के उपरान्त ही कोई भी वित्तीय क्रिया CFMS में सम्पन्न होगी।

2. प्रत्येक कार्यालय एक Office Admin द्वारा संचालित होगा, जो वस्तुतः उस कार्यालय का कार्यालय प्रधान (Head of Office) होगा। उक्त परिवर्त्तनों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना सं०– 99, दिनांक– 09.04.19 की कंडिका– 2 में निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं–

(i) शिक्षा विभाग की Vertical Hierarchy निम्नांकित प्रकार से रहेगी–

(क) Level - 1 – शिक्षा विभाग

(ख) Level - 2 – शिक्षा विभाग के निदेशालय

(I) प्राथमिक शिक्षा निदेशालय।
(II) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय।
(III) उच्च शिक्षा निदेशालय।
(IV) प्रशासन निदेशालय।
(V) मध्याहन भोजन योजना निदेशालय।
(VI) शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय।

(VII) जन शिक्षा निदेशालय।

(VIII) पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय

(XI) SCERT निदेशालय।

(ग) Level - 3 – शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

(I) सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय।

(II) सभी क्षेत्रीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों (CTE, DIET, PTEC, BIET) के कार्यालय।

(घ) Level - 4 –

(I) सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों के कार्यालय

(II) सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के पूर्व के कार्यालय (जो पूर्व में अपने कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी थे)।

(III) मुख्यालय स्तर पर निदेशालयों से संलग्न वैसे कार्यालय, जो निकासी एवं व्ययन का कार्य करते थे।

(ii) सभी स्तरों पर संबंधित कार्यालयों के Office Admin उस कार्यालय के प्रधान (Head of office) रहेंगे। जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय सृजित किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत जिला स्तर, प्रखंड स्तर, एवं विद्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग से संबंधित सभी पुराने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के CTMIS DDO कोड को Tag किया जाएगा।

(iii) सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने कार्यालय के Office Admin रहेंगे, जिन्हें Level– 1 के शिक्षा विभाग कार्यालय द्वारा नामित एवं स्थानांतरित होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जाएगा।

(iV) सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने कार्यालय में E-Billing Module में Employee Maintenace Module के Approver के रूप में कार्य करेंगे। इस मॉड्यूल के Checker के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना रहेंगे। इस मॉड्यूल के Makers एक से अधिक हो सकते हैं। ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना के

कार्यालय सहायक तथा उस जिले के पुराने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (यथा–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक) भी हो सकते हैं।

(V) E-Billing के अन्य Modules - Bill Preparation including Pay Bill Module तथा Expenditure Sanction Module के Approver के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना कार्य करेंगे। अर्थात् जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना अपने जिले में स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों के कर्मियों एवं पदाधिकारियों, सभी प्रकार के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित एवं नियमित शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि हेतु Approver के रूप में नामित किए जाऐंगे।

(Vi) Payee Management Module के लिए नियोजित शिक्षकों के वेतन से संबंधित बजट विपत्र कोडों के Approver के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना ही नामित किए जाऐंगे।

(Vii) Payee Management Module के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी प्रकार की लाभुक आधारित योजनाओं के बजट विपत्र कोडों के Approver के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा नामित किए जाऐंगे।

(Viii) विभागीय अधिसूचना – 99, दिनांक – 09.04.2018 के द्वारा ही सभी जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को अपने तथा जिले के अन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यथा – PTEC, तथा CTE का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित किया गया था। नए CFMS में कार्यालय एवं उसके प्रधान (Head of Office) की प्रमुख भूमिका होने के कारण सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी प्रकार के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (BITE, DIET, PTEC एवं CTE) का कार्यालय CFMS के Office Admin module के अन्तर्गत सृजित किया जाए, जिसके HoO एवं Approver उस संस्थान के प्राचार्य रहेंगे।

(ix) मुख्यालय एवं प्रमंडल स्तर पर निर्मित कार्यालयों में उनसे संबंधित पुराने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी Approver के रूप में नामित होंगे। एवं उस कार्यालय के कार्यालय प्रधान Office Admin के रूप में रहेंगे।

3. अधिसूचना सं०– 99, दिनांक– 09.04.2019 एवं उससे संबंधित पूर्व में निर्गत अन्य आदेश तथा संशोधन इस हद तक संशोधित समझे जाऐंगे ।

270

4. प्रस्ताव पर माननीय शिक्षा मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(सुशील कुमार)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक संख्या–18/वि०1–06/2018....../-921
दिनांक–11.04.2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/राज्य परीक्षा बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, (उ०मा०), पटना/अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक/विशेष निदेशक/उप निदेशक (प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी (स्थापना)/ **DPO (P&A)**/सभी अवर सचिव/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी प्राचार्य/**CTE**/**DIET**/**PTEC**/**BITE**/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/4/19

(सुशील कुमार)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक संख्या–18/वि०1–06/2018......./921
दिनांक–11.4.2019

प्रतिलिपिः– **अधीक्षक**, राजकीय मुद्रणालय, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना को अधिसूचना की **CD** सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/4/19

(सुशील कुमार)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक संख्या–18/वि०1–06/2018......./921
दिनांक–11.04.2019

प्रतिलिपिः– **आई०टी० मैनेजर**, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागयी वेबसाईट पर उपलब्ध कराने **हेतु** प्रेषित।

11/4/19

(सुशील कुमार)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।